पत्र सं०–6 एस०एस०(6)07/2018– 1829/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 22/04/2025.

XX
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

XX

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 400.00 लाख (₹ चार करोड़) मात्र की लागत व्यय पर गव्य विकास से संबंधित कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–1973, दिनांक–12.06.2024 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 400.00 लाख (₹ चार करोड़) मात्र की लागत व्यय पर गव्य विकास से संबंधित कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गव्य विकास निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को जिला स्तर/राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार करना है।

3. गव्य विकास से संबंधित कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार जिला एवं प्रखण्डों में होर्डिंग के माध्यम से किये जाने/सोनपुर, बौसी एवं राजगीर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मेला में विभागीय मंडप का निर्माण/मेला प्रदर्शनी में फ्लैक्सी बैनर, लीफलेट, हैण्डबील आदि के द्वारा आगन्तुकों को गव्य विकास अन्तर्गत चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं एवं गव्य व्यवसाय के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना/विभाग द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं की पुस्तिका, वार्षिक प्रशासी प्रतिवेदन एवं पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं मुद्रण करना आदि कार्य।

4. वर्त्तमान में राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कृषकों द्वारा पराली जलाये जाने के कारण पर्यावरण को संरक्षण हेतु सघन रूप से प्रचार–प्रसार कार्यक्रम चलाये जाने के मद्देनजर फ्लैक्सी बैनर, लीफ लेट, हैण्डबील, ब्रोसर्स/स्टीकर, चार्ट, टीन प्लेट बोर्ड के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार तथा कृषकों के लिए गोपालक कैलेन्डर, डेयरी से संबंधित सफलता की कहानी एवं लघु फिल्म निर्माण/विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सेमिनार/कार्यशाला का भी आयोजन किया जायेगा।

5. प्रचार–प्रसार की योजना अन्तर्गत बजट शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 –डेरी विकास परियोजनाएँ, उप शीर्ष–0115 –गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विपत्र कोड 02–2404001020115 अन्तर्गत विषय शीर्ष–2601 –विज्ञापन और प्रकाशन'' मद से विकलनीय होगा।

6. इस स्कीम के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, गव्य, बिहार, पटना अथवा इनके द्वारा गव्य निदेशालय स्तर पर प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे। आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सहमति उपरान्त निदेशक, गव्य आवंटनादेश निर्गत करेंगे।

7. इस स्कीम के तहत स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया जायेगा।

8. यह स्कीम एक चालू राज्य स्कीम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस स्कीम की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस० (6)07 / 2018 के पृष्ठ–69 / टि०, दिनांक–17.04.2025.

9. निदेशक, गव्य, बिहार, पटना इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं स्कीम के सफल क्रियान्वयन हेतु पूर्णरूपेण जवाबदेह होंगे।

10. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस० (6)07 / 2018 के पृ०–69 / टि० डायरी सं०–160, दिनांक–16.04.2025.

11. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. वित्त विभाग की परिपत्र–2561, दिनांक–17.04.1998 के क्रम में व्यय की जाय।

विश्वासभाजन,

22/4/25

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07 / 2018– 1829 / पटना–15, दिनांक– 22/04 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा / बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/4/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07 / 2018– 1829 / पटना–15, दिनांक– 22/04 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/4/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07 / 2018– 1829 / पटना–15, दिनांक– 22/04 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/4/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07 / 2018– 1829 / पटना–15, दिनांक– 22 / 04 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय, बिहार, पटना के बजट शाखा / योजना शाखा / लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/4/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07 / 2018– 1829 / पटना–15, दिनांक– 22 / 04 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी / योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/4/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07 / 2018– 1829 / पटना–15, दिनांक– 22 / 04 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/4/25

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना अन्तर्गत गव्य विकास से संबंधित कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार की योजना से सम्बन्धित व्यय विवरणी :–

विपत्र कोड 02–2404001020115.

विषय शीर्ष–0115.26.01 –विज्ञापन और प्रकाशन।

क्रमांक	मद का नाम	व्यय की जाने वाली अनुमानित राशि (रु० करोड़ में)
1	गव्य विकास से संबंधित कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार जिला एवं प्रखण्डों में होर्डिंग के माध्यम से किये जाने/बिहार राज्य अन्तर्गत सोनपुर, बौसी एवं राजगीर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मेला में विभागीय मंडप का निर्माण/योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभागीय वेबसाईट पर होने वाले व्यय/मेला प्रदर्शनी में फ्लैक्सी बैनर, लीफलेट, हैण्डबील आदि के द्वारा आगन्तुकों को गव्य विकास अन्तर्गत चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं एवं गव्य व्यवसाय के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने तथा राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत योजना क्रियान्वयन अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कृषकों द्वारा पराली जलाये जाने के कारण पर्यावरण को संरक्षण हेतु सघन रूप से प्रचार–प्रसार कार्यक्रम चलाये जाने के मद्देनजर फ्लेक्सी बैनर, लीफ लेट, हैण्डबील, ब्रोसर्स/स्टीकर, चार्ट, टीन प्लेट बोर्ड के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार तथा कृषकों के लिए गोपालक कैलेन्डर, डेयरी से संबंधित सफलता की कहानी एवं लघु फिल्म निर्माण/विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सेमिनार/कार्यशाला के आयोजन पर होने वाले अनुमानित व्यय–	4.00
	योग :–	**4.00**

(रुपये चार करोड़) मात्र।

1829
22/04/2025

22/4/25

सरकार के अपर सचिव